स्पेशल टास्क फोर्स, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

<u>प्रेस नोट संख्याः 80, दिनांकः 12-03-2024</u>

विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में सेंध लगाकर पेपर लीक कराने वाले गिरोह के सदस्य व थाना सेक्टर 39 नोएडा गौतमबुद्धनगर, जनपद झांसी, बुलन्दशहर एवं मुजफ्फरनगर के अभियोगों में वांछित रू0 25,000/- के ईनामी अपराधी मोनू पंडित व एक अन्य गिरफ्तार।

उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा दिनांक 17 एवं 18 फरवरी 2024 को आयोजित उ0प्र0 आरक्षी पुलिस भर्ती की लिखित परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक कराकर पैसा लेकर अभ्यार्थियो को पढ़वाने वाले गिरोह के सदस्य एवं थाना सेक्टर 39 गौतमबुद्धनगर, जनपद झांसी, बुलन्दशहर एवं मुजफ्फरनगर के अभियोगों में वांछित रू0 25 हजार के ईनामी अपराधी मोनू पंडित सहित 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

<u>गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरणः-</u>

1- मोनू पंडित पुत्र महावीर शर्मा निवासी ग्राम अभ्यपुरा मानागढी थाना नोहझील, मथुरा।
2- गौरव कुमार चौधरी पुत्र चन्द्रपाल सिंह निवासी ग्राम जावरा थाना मांट, मथुरा।

<u>अभियुक्तों से बरामदगीः-</u>

1- 01 अदद वाहन (क्रेटा) नं0 एचआर-79डी-50

<u>गिरफ्तारी का स्थान व समयः-</u>

टेकमेन कॉलोनी, थाना हाईवे जनपद मथुरा क्षेत्र। दिनांक 11-03-2024, समय लगभग 17.25 बजे।

एस0टी0एफ0 उ0प्र0 लखनऊ को उ0प्र0 पुलिस भर्ती व प्रोन्नति बोर्ड द्वारा दिनांक 17 व 18 फरवरी को आयोजित कराई गयी आरक्षी भर्ती परीक्षा मे प्रश्न पत्र लीक कराने वाले गिरोहो के सम्बन्ध में सूचनाएं प्राप्त हो रही थी। इसी क्रम में श्री राजकुमार मिश्रा, अपर पुलिस अधीक्षक, फील्ड यूनिट नोएडा के पर्यवेक्षण तथा श्री नवेन्दु कुमार, पुलिस उपाधीक्षक, एस0टी0एफ0 फील्ड यूनिट, नोएडा के नेतृत्व मे उप निरीक्षक श्री अक्षय त्यागी एस0टी0एफ0 नोएडा द्वारा टीम गठित कर अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी और अभिसूचना कार्यवाही के दौरान एस0टी0एफ0 गौतमबुद्धनगर द्वारा दिनांक 05-03-2024 को सन्दर्भित मामले के अभियुक्त प्रमोद पाठक निवासी पारसौली, थाना नोहझील, हाल पता अरूण विहार सेक्टर 37 गौतमबुद्धनगर को गिरफ्तार किया गया था जिससे महत्वपूर्ण सूचनाएं प्राप्त हुई थी।

दिनांक 11-03-2024 को अभिसूचना संकलन के दौरान एस0टी0एफ0 नोएडा को मुखबिर एवं विश्वसनीय सूत्रों से ज्ञात हुआ कि थाना सेक्टर 39, गौतमबुद्धनगर पर पंजीकृत मु0अ0स0 131/24 धारा 420/467/468/471/34 भादवि में वांछित तथा नवाबाद जनपद झांसी के अभियोग में फरार चल रहा रू0 25 हजार का ईनामी अपराधी मोनू पंडित, जनपद मथुरा के टैकमेन कॉलानी में आने वाला है। इस सूचना को विकसित करने के उपरान्त एसटीएफ नोएडा की टीम द्वारा मकसद बताकर जनपद मथुरा की एसओजी पुलिस को साथ लेकर त्वरित कार्यवाही करते हुए गन्तव्य स्थान पर पहुॅचकर उपरोक्त दोनो अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया जिनसे उपरोक्त बरामदगी हुई

गिरफ्तार अभियुक्त मोनू पंड़ित ने पूछताछ पर बताया कि वह बाजना इण्टर कालेज मथुरा में पढता था तो इसी कालेज में प्रमोद पाठक भी पढता था। उसी दौरान उसकी मित्रता प्रमोद पाठक से हो गयी, इसके बाद वह प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए मुखर्जी नगर, दिल्ली के कोचिंग में आ गया था और इसी कोचिंग में इसकी (मोनू पंडित) मुलाकात मोनू गुर्जर (जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पैसा लेकर अभ्यार्थियों को पास कराने का गैग चलाता था) से हो गयी । अभियुक्त मोनू पंडित ने स्वंय को एम0टी0एस0 की परीक्षा में पास कराने के लिए मोनू गुर्जर से सम्पर्क किया था। इसके बाद मोनू पंडित ने मोनू गुर्जर के साथ मिलकर ऑनलाइन प्रतियोगी परीक्षाओं में स्क्रीन शेयरिंग के माध्यम से प्रतियोगी परीक्षाओं में धांधली करने का काम करना शुरू कर दिया । इसके अतिरिक्त मोनू पंडित द्वारा ऑफलाइन प्रतियोगी परीक्षओं में पेपर लींक कराकर अभ्यार्थियों को इकटठा करके उनसे पैसा लेकर उनको पेपर पढवाने का काम भी करने लगा। इसी दौरान अभियुक्त मोनू पंडित के मित्र प्रमोद पाठक ने भारतीय वायुसेना में नौकरी करते हुए वर्ष 2017 में खैर अलीगढ में आर्मी एवं सेना में भर्ती के लिए फिजिकल की ट्रेनिंग कराने के लिए पी0डी0एम0 ट्रेनिंग सेन्टर खोला था और मोनू पंडित द्वारा प्रमोद पाठक के साथ मिलकर वायुसेना, नेवी, कोस्ट गार्ड, दिल्ली पुलिस, एस0एस0सी0, जी0डी0, सी0एस0आई0आर0 एवं उ0प्र0 की विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में धांधली कराने का गैंग का संचालन किया गया। वर्ष 2024 में उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा आयोजित की गयी कम्प्यूटर ऑपरेटर की भर्ती परीक्षा में अभियुक्त मोनू पंडित द्वारा बुलन्दशहर एंव वाराणसी सारनाथ स्थित एम0एल0 इंस्ट्रीटयूट के माध्यम से स्क्रीन शेयरिंग करके परीक्षा में धांधली करने का काम किया गया था। जिस दौरान अभियुक्त मोनू पंडित के मामा का लडका अतुल अपने सहयोगियों के साथ जनपद बुलन्दशहर में प्रतियोगी परीक्षाओं में धांधली करने के आरोप में पकडा गया था, इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली देहात जनपद बुलन्दशहर पर मु0अ0सं0 58/24 धारा 419/420/467/468/471/120बी भादवि का अभियोग पंजीकृत है और इस अभियोग में अभियुक्त मोनू पंडित वांछित चल रहा था। उल्लेखनीय है कि अभियुक्त मोनू पंडित एवं गौरव कुमार थाना सेक्टर 39 नोएडा के मु0अ0स0 131/24 धारा 420/467/471/34 भादवि के अभियोग में भी वांछित चल रहे थे जिसको गिरफ्तार कर लिया गया ।

गिरफ्तार अभियुक्त गौरव कुमार उर्फ गौरव चौधरी ने पूछताछ पर बताया कि जब वह वर्ष–2015 में एस0एस0सी0 की परीक्षा दे रहा था तो उसी दौरान वह जनपद आगरा के श्यामवीर बाबा नाम के व्यक्ति के संपर्क में आया, जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में अभ्यार्थियो को भर्ती कराने का गैंग चलाता था। इसके बाद अभियुक्त गौरव कुमार उर्फ गौरव चौधरी भी अभ्यर्थियों से पैसा लेकर उनको भर्ती कराने के लिए श्यामवीर बाबा के पास लाने लगा। वर्ष 2019 में अभियुक्त गौरव कुमार उर्फ गौरव चौधरी ने सहस्त्रधारा रोड जनपद देहरादून में ऑनलाइन परीक्षा कराने के लिए अपना एक जी0एस0 सेन्टर बनाया था और वर्ष 2019 में ही उसके सेन्टर पर काम करवाने के लिए मोनू गुर्जर आया था, तभी से ही मोनू गुर्जर के माध्यम से अभियुक्त गौरव कुमार उर्फ गौरव चौधरी, आशीष पालीवाल, जनपद मेरठ एवं मोनू पंडित जनपद मथुरा के संपर्क में आया और फिर इन लोगों के साथ मिलकर अभियुक्त गौरव कुमार उर्फ गौरव चौधरी भी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में धांधली करके भर्ती कराने का गैंग चलाने लगा। ज्ञात हुआ है कि गिरफ्तार अभियुक्त गौरव वर्ष 2015 में एस0एस0सी0 की परीक्षा में फर्जी छाप अंगुष्ठ तैयार कर मूल अभ्यार्थियों के स्थान पर साल्वर बैठाकर धांधली कर रहा था तो उसी दौरान एस0टी0एफ0 यूनिट गौतमबुद्धनगर द्वारा अभियुक्त गौरव आदि 08 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था, जिसके सम्बन्ध में थाना सूरजपुर गौतमबुद्धनगर पर मु0अ0स0 664/15 धारा 416/419/420/465/468/34 भादवि का अभियोग पंजीकृत है।

अभियुक्त मोनू पंडित, थाना नवाबाद जनपद झांसी के मु0अ0सं0 72/24, थाना कोतवाली नगर मुजफ्फरनगर के मु0अ0सं0 78/24, थाना सेक्टर 39 नोएडा के मु0अ0सं0 131/24, थाना कोतवाली देहात बुलन्दशहर के मु0अ0सं0 58/24 एवं थाना कंकरखेडा मेरठ के मु0अ0सं0 166/24 तथा अभियुक्त गौरव कुमार, थाना कोतवाली नगर, मुजफ्फनगर के मु0अ0सं0 78/24 एवं थाना सेक्टर 39 गौतमबुद्धनगर के मु0अ0सं0 131/24 में वांछित चल रहा था।

गिरफ्तार किये गये दोनो अभियुक्तों से की गयी पूछताछ में यह प्रकाश में आया है कि उत्तर प्रदेश भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा दिनांक 17 एवं 18 फरवरी 2024 को आयोजित कराई गयी उ0प्र0 आरक्षी पुलिस भर्ती की लिखित परीक्षा का प्रश्न पत्र परीक्षा से पूर्व ही अभियुक्त मोनू पंडित एवं गौरव को प्राप्त हो गया था जिसमें इनके गैंग के द्वारा कुछ अभ्यार्थियों से पैसा लेकर उनको गोपनीय तरीके से पेपर को पढवाया गया था, इस सम्बन्ध में गहनता से छानबीन की जा रही है।

अभियुक्त मोनू पंडित, के विरूद्ध निम्न अभियोग का पंजीकृत होना ज्ञात हुआ है–

1– मु0अ0सं0 12/23 धारा 420/467/468/471 भादवि थाना शाहंगज, आगरा।
2– मु0अ0सं0 72/24 धारा 420/467/420/468/34 भादवि थाना नवाबाद झांसी
3– मु0अ0सं0 78/24 धारा 420/467/465/468/471/120बी भादवि थाना कोतवाली नगर मुजफ्फरनगर।
4– मु0अ0सं0 131/24 धारा 420/467/471/34 भादवि थाना सेक्टर 39 नोएडा।
5– मु0अ0सं0 58/24 धारा 419/420/467/468/471/120बी भादवि थाना कोतवाली देहात जनपद बुलन्दशहर ।
6– मु0अ0सं0 166/24 धारा 420/467/468/471/120बी भादवि एवं 3/4/7/8/9 उ0प्र0 सार्वजनिक परीक्षा अधि0 थाना कंकरखेडा मेरठ।

अभियुक्त गौरव कुमार के विरूद्ध निम्न अभियोग का पंजीकृत होना ज्ञात हुआ है–

1– मु0अ0सं0 664/15 धारा 416/419/420/465/468/34 भादवि थाना सूरजपुर, गौतमबुद्धनगर।
2– मु0अ0सं0 78/24 धारा 420/467/465/468/471/120बी भादवि थाना कोतवाली नगर मुजफ्फरनगर।
3– मु0अ0सं0 131/24 धारा 420/467/471/34 भादवि थाना सेक्टर 39 नोएडा।

गिरफ्तार अभियुक्त मोनू पंडित एवं अभियुक्त गौरव कुमार उर्फ गौरव चौधरी को थाना सेक्टर–39 नोएडा पर पंजीकृत मु0अ0सं0 131/2024 धारा 419,420,467,468,471,34 भादवि में दाखिल किया गया। अग्रिम कार्यवाही स्थानीय पुलिस द्वारा की जा रही है।

––